



पत्र संख्या- 363/2024

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

### \*01.थाना-मुबारकपुर:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार\*

#### \*गिरफ्तारी का विवरण:-\*

दिनांक 14.12.2024 को चौकी प्रभारी कस्बा उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति रूदल कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी काशीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को इस्लामपुरा जामियाबाद मोड़ से समय करीब 23.50 बजे 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 487/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

#### \*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\*

01. रूदल कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी काशीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

#### \*बरामदगी का विवरण:-\*

01. एक अदद तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

#### \*पंजीकृत अभियोग:-\*

01. मु0अ0सं0- 487/2024 धारा-3/25 आर्म्स थाना मुबारकपुर आजमगढ़



## **\*02.थाना-सरायमीर:- दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार\***

### **\*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-\***

दिनांक 09.12.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त शिवकुमार जयसवाल उर्फ करिया पुत्र स्व0 चन्द्रबली जयसवाल कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष द्वारा लगभग चार महीनों से वादिनी व उसकी लड़की के साथ अभ्रद- अभ्रद बातें किया जाता है व दोनों की इज्जत लूटने की बात कही जाती थी, दिनांक 4.12.2024 को शाम में नोनारी बाजार में अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी किया गया जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली देते हुए मारपीट की गयी व कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 642/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/74 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में व बाद आवेदिका के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

### **\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

आज दिनांक 15.12.2024 को उ0नि0 धीरज कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शिवकुमार जयसवाल उर्फ करिया पुत्र स्व0 चन्द्रबली जयसवाल कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष को कौरागहनी से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

### **\*पंजीकृत अभियोग का विवरण:-\***

1. मु0अ0सं0- 642/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/74 बीएनएस धारा 64 भादवि की बढोत्तरी की गयी ।

### **\*आपराधिक इतिहास का विवरण:-\***

1. मु0अ0सं0- 642/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/74/64 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-30/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-227/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 0388/2023 धारा 323, 406, 504, 506 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0- 0008/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



### **\*03. थाना-कोतवाली:- जानलेवा हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

#### **\*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-\***

दिनांक 15.10.2024 को वादी संजय यादव पुत्र सजनू यादव निवासी हर्षा की चुंगी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आज शाम समय लगभग 17.00 बजे वादी के भाई करन यादव अपने साथी निखिल चौहान पुत्र अनिल चौहान निवासी शेखपुरा कोतवाली आजमगढ़ व हर्ष चौरसिया पुत्र अनिल चौरसिया निवासी हर्षा की चुंगी कोतवाली आजमगढ़ के साथ अपने बुलेट बाईक से बद्दोपुर की तरफ जा रहा था जहां रास्ते में उसे अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह, निवासी दौलतपुर आजमगढ़ व रोशन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी R.T.O आफिस के पास आजमगढ़ व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के साथ अपने मो0नं0 6392xxxxxx से करन यादव के मो0नं0 7394xxxxxx पर फोन करके बद्दोपुर बुलाया जहां जाते समय रास्ते में ही अमन सिंह ने अपने साथियों के साथ करन की गाड़ी रोककर करन के सीने में गोली मार दी जिससे करन घायल होकर नीचे गिर पड़ा। जिसे उसके दोस्तों की सहायता से ईलाज हेतु बेदांता अस्पताल लक्षिरामपुर लाया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0—582/2024 धारा 109,3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है व एक अभियुक्त हाजिर अदालत है।

#### **\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-\***

आज दिनांक 15.12.2024 को उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू राव उर्फ विकास कुमार पुत्र टुन्नु उर्फ प्रमेश निवासी जयरामपुर बिनाहवां थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 20 वर्ष को हाफिजपुर से बैठौली जाने वाले मार्ग से समय करीब 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



## **\*04.थाना-कोतवाली:- चोरी की घटना कारित करने वाली 03 अभियुक्ता गिरफ्तार\***

### **\*पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-\***

वादिनी वन्दना शर्मा पत्नी मनोज शर्मा निवासी नरहन खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 12/12/24 को वादिनी अपने पुत्री के साथ अपने मायके पहाड़पुर तिराहे से नरहन खास जाने हेतु टैम्पू बैठी थी तथा बैग में वादिनी द्वारा अपनी पुत्री का एक जोड़ी कान की बाली सोने का व एक जोड़ी बिछिया चाँदी का एक पैर का पायल चाँदी का तथा दो नाक की नथिया सोने की रखी थी। वादिनी के साथ टैम्पू में कुछ दो-तीन महीलायें भी बैठी थी जो बीच रास्ते में बनकट के पास उतर गयी जब वादिनी द्वारा अपने घर नरहन खास में शाम को पहुंची तथा बैग को चेक किया तो सारा जेवरात गायब मिला। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 662/2024 धारा- 303(2) BNS बनाम 02-03 महिला अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

### **\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-\***

आज दिनांक 15.12.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा प्रकाश में आयी 03 अभियुक्ता 1. पालन खरवार पत्नी हरीश खरवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी टिपरा कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर 2. चंचल खरवार पत्नी चौधरी खरवार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी टिपरा कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर 3.अनीषा खरवार पुत्री ज्योति खरवार उम्र करीब 18 वर्ष निवासी टिपरा कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बजे गायत्री ज्ञान मन्दिर के सामने से को समय करीबस 13.25 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

### **\*बरामदगी का विवरण:-\***

01. 01 जोड़ी बाली पीली धातु।
02. 01 जोड़ी बिछिया सफेद धातु।
03. 01 पैर का पायल सफेद धातु।
04. 02 अदद नाक की नथिया पीली धातु।
05. 370 रुपये नगदा।



**\*05.थाना-मुबारकपुर:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

दिनांक 14.12.2024 को चौकी प्रभारी लोहरा उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति राकेश कुमार पुत्र भाना कुमार निवासी कस्तूरीपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष को फखरूद्दीनपुर अण्डरपास से समय करीब 21.30 बजे एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 486/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त:-\***

**01.** राकेश कुमार पुत्र भाना कुमार निवासी कस्तूरीपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष

**\*बरामदगी:-\***

**01.** 01 अदद तमंचा .315 बोर

**02.** 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

**01.** मु0अ0सं0- 486/2024 धारा-3/25 आर्म्स थाना मुबारकपुर आजमगढ़।



## **06.थाना-बरदह:- गोकशी करने वाले 02 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त चापड व चाकू तथा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार\***

### **\*पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-\***

दिनांक 05.12.2024 को वादी राजेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामनरायन विश्वकर्मा ग्रामसभा पुरसुड़ी थाना- बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि गाँव के पश्चिम सीवान के एक पुराने कुएं में बोरे में भरकर कुछ फेंका हुआ है तथा पास के ही खेत में खून के निशान भी हैं जिसके आधार पर पुलिस ने गाँववालों की सहायता से बोरे को कुएं से बाहर निकलवाया। बोरा खोलने पर उसमें प्रतिबंधित पशु के शरीर का कुछ भाग मिला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/24 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1.मो0 अनस उर्फ मुनीस उर्फ मुंसा पुत्र फिरोज ग्राम बक्सपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. परवेज उर्फ कल्लू पुत्र शमशेर ग्राम इसहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3.ओमप्रकाश पुत्र बंगाली ग्राम बागपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

### **\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-\***

आज दिनांक 15.12.24 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 अनस उर्फ मुनीस उर्फ मुंसा पुत्र फिरोज ग्राम बक्सपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ ग्राम बीकापुर से समय करीब 10.24 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 396/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र बंगाली ग्राम बागपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को ग्राम नुआवा प्रा0 पाठशाला से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अनस उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चापड व चाकू भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

### **\*बरामदगी का विवरण:-\***

01. एक अदद तमन्चा 315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. घटना में प्रयुक्त चापड व चाकू।

### **\*पंजीकृत अभियोग:-\***

01. मु0अ0सं0 396/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनस उपरोक्त

### **\*गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-\***

#### **\*1. मो0 अनस उर्फ मुनीस उर्फ मुंसा पुत्र फिरोज ग्राम बक्सपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।\***

1. मु0अ0सं0 396/24 धारा 3/25 आर्म्स थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 383/24 धारा 3/5/8 गौ हत्या नि0अधि0 में 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 92/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

#### **\*2. ओमप्रकाश पुत्र बंगाली ग्राम बागपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।\***

1. मु0अ0सं0 383/24 धारा 3/5/8 गौ हत्या नि0अधि0 में 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 478/12 धारा 323, 323, 325, 325, 504, 504, 506, 506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 155/17 धारा 504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़



## \*प्रेस नोट\*

\*दिनांक - 15.12.2024\*

### \*अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा थाना तहबरपुर का किया गया वार्षिक निरीक्षण\*

- ➔ **\*पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना\*** के निर्देशन में आज दिनांक 15.12.2024 को **\*अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन\*** द्वारा **\*थाना तहबरपुर\*** का वार्षिक निरीक्षण किया गया।
- ➔ निरीक्षण के क्रम में थाना परिसर, कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, भोजनालय, बैरक, शौचालय, माल निस्तारण, शस्त्रों के रख-रखाव व महिला हेल्पडेक्स का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
- ➔ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा ग्राम प्रहरियों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ➔ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा कार्यसरकार हेतु थाने के उप-निरीक्षक व महिला हेल्प डेस्क को टैबलेट व मोबाइल वितरित किया गया तथा विवेचना का ओआर भी किया गया।
- ➔ तत्पश्चात पुलिस कर्मियों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।



**\*थाना-जीयनपुर जनपद आजमगढ़\***

**\*प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ तथा गैंग में शामिल कुल 19 सदस्यों (पूर्व में 09 सदस्य व दिनांक 14.12.2024 को शामिल कुल 10 सदस्य) का जोन स्तर आई0आर0 गैंग पंजीकृत\***

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराधिक गतिविधियों से अवैध धन कमाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़, मऊ, जौनपुर एवं लखनऊ में हत्या, लूट, डकैती, चोरी तथा हत्या के प्रयास व धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। इस गिरोह के समाज विरोधी क्रिया कलापों व अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण/निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय सगड़ी के कुशल पर्वेक्षण में अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष व उनके सदस्यों के विरुद्ध गैंग पंजीकरण करने हेतु दिनांक 14.10.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ महोदय के अनुमोदनोपरान्त श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय द्वारा पूर्व में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष व उसके कुल 09 सहयोगी / सह अभियुक्त 1. बन्दना सिंह पत्नी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. शिवप्रकाश पुत्र लालचन्द निवासी सरदारपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 3. वालकरन उर्फ साधु यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 4. राजेन्द्र यादव पुत्र रामसुरत यादव निवासी करतारपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 5. सिवेश कुमार सिंह रामबली सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 6. मनोज सिंह पुत्र रामपलट निवासी हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 7. अभिषेक सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी खुटहन थाना तरवा आजमगढ़ 8. रामकरन यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 9. मनोज सिंह पुत्र बालगोविन्द सिंह निवासी सुतरही थाना मोहम्दाबाद जनपद मऊ के अपराधिक गतिविधियों पर सतत निगरानी/प्रभावी अकुश लगाये जाने हेतु इनका गैंग जोन स्तर पर "आई0आर0-36" के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसी क्रम में दिनांक 14.12.2024 को उक्त गैंग में प्रकाश में आये अन्य 10 नये सदस्यों 10. प्रदीप कुमार सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी कबूतरा थाना तरवां आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष 11. मोहसिन उर्फ टीपू पुत्र आलमगीर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 41 वर्ष 12. फैसल पुत्र अनवर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष 13. सरफराज पुत्र अब्दुल हई निवासी बरडीहा अतरकच्छा थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष 14. सुनील सिंह पुत्र स्व0 तीरथ उर्फ तीर्थराज सिंह निवासी बघावर(ताहिरपुर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष 15. मनोहर सिंह पुत्र क्लीन सिंह उर्फ विक्रम सिंह निवासी भदीड़ थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 46 वर्ष 16. सूर्यप्रकाश उर्फ घल्लर पुत्र लक्षिराम निवासी आरिफपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 47 वर्ष 17. रिजवान पुत्र जुम्मन निवासी समुद्रपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष 18. मुन्ना सिंह पुत्र स्व0 श्रीकान्त सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 62 वर्ष 19. पंकज पाण्डेय पुत्र रामाश्रय पाण्डेय निवासी धनकपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष को उनके क्रिया-कलापों पर सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि रखने के उद्देश्य से इस गैंग में शामिल किया गया।

